रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07022026-269876
CG-DL-E-07022026-269876

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 546] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 5, 2026/माघ 16, 1947
No. 546] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 5, 2026/MAGHA 16, 1947

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 2026

सं. 57 / 2025-26

विषय: आइटीसी (एचएस) 2022 की अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय 66 के तहत शामिल छातों की आयात नीति और नीतिगत शर्त में संशोधन।

का.आ. 576(अ).— समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति 2023, के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 और धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा आइटीसी (एचएस), 2022, अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय 66 के तहत शामिल निम्नलिखित एचएस कोडों की आयात नीतिगत शर्त में निम्नानुसार संशोधन करती है:

एचएस कोड	**मद विवरण**	**मौजूदा आयात नीति**	**संशोधित आयात नीति**	**मौजूदा आयात नीतिगत शर्त**	**संशोधित नीतिगत शर्त**
6601	छाते और धूप के छाते (टहलने वाली-छड़ी छाते, उद्यान छाते सहित समान छाते)।				
66019100	अन्य : -- टेलिस्कोपिक शाफ्ट वाले	मुक्त	प्रतिबंधित	-	तथापि, आयात **"मुक्त"** है, जहां सीआइएफ मूल्य प्रति नग 100 रुपये और इससे अधिक है।
66019900	अन्य : -- अन्य	मुक्त	प्रतिबंधित	-	तथापि, आयात **"मुक्त"** है, जहां सीआइएफ मूल्य प्रति नग 100 रुपये और इससे अधिक है।

2. अग्रिम प्राधिकार-पत्र धारकों, निर्यात उन्मुख इकाइयों (इओयू) और एसईज़ेड में इकाइयों द्वारा आयात हेतु उपर्युक्त मदों पर न्यूनतम आयात मूल्य (एमआइपी) शर्त लागू नहीं होगी, बशर्ते कि उपर्युक्त आइटीसी (एचएस) कोड के तहत आयातित मदें घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (डीटीए) में न बेची जाएं।

अधिसूचना का प्रभाव:

आइटीसी (एचएस) कोड 66019100 और 66019900 के तहत तैयार छातों की आयात नीति और नीतिगत शर्त को संशोधित कर "मुक्त" से "प्रतिबंधित" किया गया है। तथापि, आयात "मुक्त" होगा यदि सीआइएफ मूल्य प्रति नग 100 रुपये और इससे अधिक है। इसके अतिरिक्त, अग्रिम प्राधिकार पत्र धारकों, ईओयू, और एसईज़ेड द्वारा इन दो आइटीसी (एचएस) कोडों के तहत आयातित मदों को एमआइपी शर्त से छूट होगी।

इसे माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा. सं. 01/89/180/81एम-25/पीसी-2(ए) / ई-45032]

लव अग्रवाल, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th February, 2026

No. 57 / 2025-26

Subject: Amendment in Import Policy and Policy condition of Umbrellas covered under Chapter 66 of Schedule –I (Import Policy) of ITC (HS) 2022.

S.O. 576(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 and Section 5 of Foreign Trade (Development &Regulation) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy 2023, as amended from time to time, the Central Government hereby amend the import policy condition for the following HS codes covered under Chapter 66 of the ITC (HS), 2022, Schedule-I (Import Policy) as under:

HS code	**Item Description**	**Existing Import Policy**	**Revised Import Policy**	**Existing Import Policy Condition**	**Revised Policy Condition**
6601	Umbrellas and sun umbrellas (including walking-stick umbrellas, garden umbrellas and similar umbrellas).				
66019100	Other : -- Having a telescopic shaft	Free	Restricted	-	However, import is **"Free"** where the CIF value is ₹100 and above per piece.
66019900	Other : -- Other	Free	Restricted	-	However, import is **"Free"** where the CIF value is ₹100 and above per piece.

2. Minimum Import Price (MIP) condition on above items shall not be applicable for imports by Advance Authorisation holders, Export Oriented Units (EOUs) and units in the SEZ subject to the condition that the imported items under the above ITC (HS) Codes are not sold into Domestic Tariff Area (DTA).

Effect of the Notification:

The Import Policy and Policy Condition of Finished Umbrellas under ITC (HS) Codes 66019100 and 66019900 are revised from "Free" to "Restricted". However, import shall be "Free" if the CIF value is ₹100 and above per piece. Further, imported items under these two ITC (HS) Codes by Advance Authorisation holders, EOUs, and SEZ shall be exempted from the MIP condition.

This is issued with the approval of the Hon'ble Minister of Commerce & Industry.

[F. No. 01/89/180/81AM-25/PC-2(A) / e- 45032]

LAV AGARWAL, Director General of Foreign Trade & Ex-officio Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.